राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक 7(4)/एमई/ग्रुप-1/82 दिनांक 25-1-2011

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक के रिक्त पदों की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज की वेब साईट पर डलवाये जाने का श्रम करावें। विस्तृत सूचना चिकित्सा शिक्षा विभाग की वैब साईट पर उपलब्ध है। विस्तृत सूचना भी मेडिकल कालेज की वैब साईट पर डलवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

25/1/11

(हरी बाबू शर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 7 (4)एम.ई / ग्रुप–1 / 2005 पार्ट — जयपुर, दिनांकः 25-01-11

अल्प अवधि विज्ञापन संख्या 1 / 2011

राजस्थान के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मेडिकल कालेज स्तर पर चयन किये जाने के लिए सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक रिक्त पदों पर आवश्यक आधार पर पूर्णतयां अस्थाई नियुक्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है। ये नियुक्तियां 6 माह की अवधि अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, पदों के नियत मानदेय पर के आधार पर दी जायेगी।

आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति पर निम्नानुसार मानदेय देय होगा :–

1. क्लीनिकल विंग

अ. वरिष्ठ प्रदर्शक	32,000 / – नियत
ब. सहायक आचार्य	36,000 / – नियत

2. नॉन क्लीनिकल विंग

अ. वरिष्ठ प्रदर्शक	35,360 / – नियत
ब. सहायक आचार्य	40040 / – नियत

विज्ञापन प्रकाशन के 5 दिवस पश्चात् वॉक इन इंटरव्यू के लिये प्रत्येक मंगलवार को (अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को) नीचे वर्णित प्रारूप में आवेदन पत्र मय प्रमाण–पत्रों के जिस महाविद्यालय में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु इच्छुक है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण सहित संबंधित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न कर भिजवाया जाना आवश्यक है:–

1. प्रार्थी का पूरा नाम
2. पिता / पति का नाम
3. पूरा स्थाई पता
4. वर्तमान डाक का पता
5. जन्म तिथि एवं दिनांक 01.01.2011 के अनुसार आयु (प्रमाण–पत्र सहित)
6. शैक्षणिक योग्यता (नीचे अंकित प्रपत्र में)

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कितने प्रयत्नों में उत्तीर्ण हुए	प्राप्तांकों का योग	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

7. अनुभव का विवरण (निम्न प्रपत्र में)

क्र0सं0	शैक्षणिक संस्थान / अस्पताल का नामे	पद जिस पर कार्य किया हो	अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

8. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति (प्रमाण पत्र सहित)
9. डी.एम. एवं एम.सीएच. योग्यता वाले पदों हेतु आवेदन में आयु दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला अभ्यर्थियों हेतु ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट देय है।
10. शैष पदों हेतु आवेदकों की आयु दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला आवेदकों हेतु ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट देय है।
11. केन्द्रीय चयन बोर्ड अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर कर राज्य सरकार को नियुक्ति हेतु अभ्स्तावित करेगें।
12. निःशक्तजन वर्ग में लोअंर लिम्ब (ओ एल) अस्थि विकृति ही पात्र होंगे।
13. एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।
14. समस्त पदों की योगयता के साथ यह परन्तुकं भी लागू होगा कि "परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठयक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिये नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिये अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा किन्तु उसे चयन समिति को साक्षात्कार में सम्मिलिंत होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।"
15. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हों नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जायेगा।

16. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया हैं जिसके पहले जीवित पत्नि है नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जायेगा।
17. ऐसा कोई भी अभ्यार्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा
18. उपरोक्त पदों के लिए चयन उपरान्त नियुक्त चिकित्सक लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञापित करने पर चयन के लिए आवेदन करेगें।

दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नही समझा जायेगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नही होवी परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक केवल बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्त्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। विभाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति होने की दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

आवेदन–पत्र के ऊपर पदनाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आवेदन–पत्र के साथ स्वंय का नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना भी आवश्यक है।

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चयन समिति एवं
शासन उप सचिव,
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5- सचिव, राजसथान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6- निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर लेख है कि इस
7- विज्ञापन को राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र मे प्रकाशित/प्रसारित करने की कार्यवाही यथा संभव तत्काल करने का श्रम करावें।
8- वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
9- प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञापन को सभी पात्र आवेदकों के ध्यान में लाये जाने हेतु सर्क्यूलेट करने का कृपया श्रम करें।
10- प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे सर्कुलेट करायें।
11- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञापन को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के माध्यम से सर्क्यूलेट करने का कृपया श्रम करें।
12- अधीक्षक, समस्त शैक्षणिक चिकित्सालय।
13- रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी